33

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण सन् 2018

निगरानी- 2730/2018 /कटनी/ भू.रा.

आवेदकगण – 1– श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नि स्व. विश्वनाथ गुप्ता
2– मुकेश गुप्ता पिता स्व. विश्वनाथ गुप्ता
दोनों निवासी– नया बस स्टेण्ड कटनी
जिला कटनी मध्यप्रदेश

विरूद्व

अनावेदक – श्रीमती गायत्री देवी शुक्ला पुत्री श्री गौरीशंकर शुक्ला निवासी – मानस नगर, रीवा तहसील जिला रीवा मध्यप्रदेश

श्री ... द्वारा आज दि. 04.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 08.6.18 नियत।
4-5-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार पहाडी जिला कटनी के न्यायालय में पंजीकृत प्रकरण दिनांक 17/अ–12/2017–18 में किये गये सीमांकन का अंतिम अनुमोदन कर प्रकरण निराकृत किये जाने के आदेश दिनांक 28.10.2017 से परिवेदित होकर आवेदकगण निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं ।

04/05/18

तथ्य

1– यह कि ग्राम देवरी प.ह.न. 35 रा.नि.म. पहाडी तहसील कटनी जिला कटनी स्थित ख.न. 251/1 रकवा 3.60 हे. भूमि अनावेदिका के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है ।

2– यह कि ख.न. 253/1, 254/1, 255/1 रकवा क्रमशः , 0.39, 0.40 हे. भूमि आवेदकगणों की भूमिस्वामी हक की भूमि है जो अवेदिका क्र. 1 के पति एवं आवेदक क्र. 2 के पिता विश्वनाथ गुप्ता पिता मोहन लाल के नाम भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है श्री विश्वनाथ गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 14.07.2017 को हो गया है । श्री विश्वनाथ गुप्ता के स्वर्गवास के उपरांत आवेदकगण विरासतन हक में भूमि के भूमिस्वामी मालिक काबिज हैं।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2730/2018 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-7-18	यह निगरानी आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार पहाडी जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 17/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम देवरी प.ह.न. 35 रा.नि. म. पहाडी तहसील कटनी में स्थित खसरा नं. 251/1 रकवा 3.60 है0 भूमि अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। खसरा नं. 253/1, 254/1, 255/1 रकवा क्रमशः ,0.39, 0.40 है0 भूमि आवेदकगणो की भूमि स्वामी हक की भूमि है। जो आवेदिका क्रमांक 1 के पति एवं आवेदक क्रमांक 2 के पिता विश्वनाथ गुप्ता पिता मोहनलाल के नाम भूमि स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है श्री विश्वनाथ गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 14.07.2017 को हो गया है, श्री विश्वनाथ गुप्ता के स्वर्गवास के उपरान्त आवेदकगण विरासतन हक में भूमि के भूमि स्वामी मालिक काबिज है। अनावेदिका द्वारा ग्राम देवरी स्थित खसरा नं. 251/1 रकवा 3.60 है0 भूमि के सीमाकन हेतु दिनांक 09.07.2017 को नायब तहसीलदार पहाडी के न्यायालय में संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.09.2017 को सीमावर्ती कृषको सूचना पत्र जारी किया गया	

जिसके अनुसार दिनांक 27.09.2017 को सीमांकन हेतु तिथि निश्चित की गयी। निर्धारित तिथि को सीमांकन कार्य संपादित नहीं किया गया अनावेदक के पक्ष के प्रभाव में दिनांक 28.10.2017 को बगैर लिखित सूचना पत्र जारी किये सीमांकन कार्य सम्पादित किया गया। दिनांक 28.10.2017 को राजस्व निरीक्षक पहाडी द्वारा चांदा मुनारा की खोज किये बिना जल्दबाजी में अन्य खेतो की मेढ को आधार मानकर सीमांकन कार्य सम्पादित किया गया। जिसमें खसरा नं. 251/1 का कुछ भाग आवेदकगण के कब्जे में होना दर्शाया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा भूमि के जिस भाग को ख नं. 251/1 का हिस्सा होना दर्शाया गया वह भूमि आवेदकगण की भूमि स्वामी हक की भूमि का हिस्सा है जिसमें 30 वर्ष पूर्व से ही कुआँ एवं मकान बना हुआ है। आवेदकगणो के परिवार का अधिपत्य कब्जा है, जिसकी जानकारी अनावेदिका तथा आम जनता को है, आवेदक क्रमांक 2 को सीमांकन जारी प्राप्त होने पर स्थल पर पहुँचकर सीमांकन में आपत्ति दर्ज करायी गयी तथा सीमांकन में आपत्ति दर्ज करायी गयी। तथा पंचनामें में आपत्ति का उल्लेख किया गया आवेदकगण द्वारा आपत्ति पर सुनवाई का अवसर प्राप्त न होने पर उनके द्वारा दिनांक 09.03.2018 को तहसीलदार पहाड़ी के न्यायालय में उपस्थित होकर सीमांकन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व निरीक्षक पहाडी द्वारा दिनांक 28.10.2017 को सीमांकन कार्य संपादन उपरान्त उसी दिनांक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष न होना दर्शा कर प्रकरण नसती कर दिया। सीमांकन की कार्यवाही एवं राजस्व निरीक्षक पहाडी द्वारा स्वंय के सीमांकन कार्यवाही के अनुमोदन दिनांक 28.10.2017 के विरूद्व आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि राजस्व निरीक्षक पहाडी द्वारा दिनांक 28.10.2017 को सीमांकन कार्यवाही का संपादन किया गया है तथा दिनांक 28.10.2017 को ही स्वंय कार्यवाही का अनुमोदन कर प्रकरण समाप्त घोषित किया गया। जबकि स्वंय की कार्यवाही का अनुमोदन किया जाना विधि विरूद्व है इसके अलावा उनके द्वारा बताया गया कि सीमांकन कार्यवाही के समय आवेदक क्रमांक 2 द्वारा की गयी आपत्ति पर आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उनका पक्ष सुने बगैर किसी प्रकार की कार्यवाही शेष न होने संबंधी निष्कर्ष अंकित करते हुये सीमांकन कार्यवाही का अनुमोदन किया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्व निरीक्षक द्वारा जल्दबाजी में आदेश पारित किया है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्ति दिनांक 31.10.2017 का निराकरण नहीं किया है जिससे आवेदकगणो के हित प्रभावित हुये है अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक पहाडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2017 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– आवेदक अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो तथा निगरानी मेमो एवं आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही का संपादन दिनांक 28.10.2017 को किया है, तथा अनुमोदन उसी दिनांक को स्वंय ही किया गया है। जबकि अनुमोदन वरिष्ठ

अधिकारी द्वारा किया जाता है इसके अतिरिक्त सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। तब ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक को उपरोक्त आपत्ति पर विचार कर आदेश पारित करना चाहिये था। एवं सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगणो को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये था। जो इस प्रकरण में दिया जाना स्पष्ट नहीं है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक पहाडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है उभय पक्षो को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये वर्तमान प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही विधिवत् रूप से सम्पादित करें।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर